पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

I संख्या – 144 / 2023

न :

1.योषित रेवाड़ पुत्र विजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढाणी चक 10 एफ.टी.पी. बशीर तहसील टिब्बी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

वनाम्

1.विजेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी ढाणी चक 10 एफटी पी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.श्रीमान तहसीलदार साहब टिब्बी पंजियन S R कार्यालय तहसील टिब्बी

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88,53 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद वर्मा :–वादी

2 अधिवक्ता श्री :–प्रतिवादी

डिक्री दिनांक.............................

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या– 1 विजेन्द्र कुमार के नाम से चक नं0 10 एफ टी पी की जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 134 / 133 में कुल तादादी 2.3790 है0 नहरी भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 10 एफ टी पी के खाता सं0 134 / 133 मे से प्रतिवादी सं0 1 विजेन्द्र कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी

Scanned with CamScanner